



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन -05/2025

(जेई/डीएमएस/सीएमए के विभिन्न पदों की भर्ती)

सीबीटी-I (दिनांक 19.02.2026, 20.02.2026 एवं 25.02.2026 को आयोजित) के प्रश्नों, प्रतिक्रियाओं और उत्तर कुंजी देखने एवं प्रश्नों/विकल्पों/कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो, उसे दर्ज करने हेतु सूचना

सीईएन संख्या 05/2025 के तहत जेई/डीएमएस/सीएमए के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-I) दिनांक 19.02.2026 से 20.02.2026 एवं 25.02.2026 को आयोजित की गई थी। सीबीटी-I में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रश्न, प्रतिक्रियाएं और उत्तर कुंजियाँ को देखने के लिए, आरआरबी की वेबसाइटों पर एक लिंक उपलब्ध किया गया है जो 05.03.2026 को 16:00 बजे से 11.03.2026 को 23:59 बजे तक सक्रिय रहेगा।

उपरोक्त विवरण देखने के बाद, प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर कुंजियों के संबंध में यदि कोई आपत्तियां हो तो उम्मीदवारों के द्वारा उठाई जा सकती हैं, जिसके लिए समय सारिणी, शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. समय सारिणी:

क्र.सं.	गतिविधि	तिथि एवं समय
1.	प्रश्नों एवं उत्तर कुंजियों को देखना और प्रश्नों, विकल्पों एवं उत्तर कुंजियों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना।	05.03..2026 को 16:00 बजे से
2.	प्रश्न देखने, आपत्तियां दर्ज करने और भुगतान विंडो बंद होने की तिथि।	11.03.2026 को 23:59 बजे तक

2. आपत्तियां दर्ज करने हेतु शुल्क:

आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित शुल्क 50/- रुपये प्रति प्रश्न के साथ लागू बैंक सेवा शुल्क भी देय है। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के खिलाफ भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। यह रिफंड उसी खाते में किया जाएगा, जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

3. शुल्क भुगतान का माध्यम:

- रुपे कार्ड/ क्रेडिट कार्ड
- यूपीआई
- नेट बैंकिंग

4. आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया:

आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक में उपलब्ध होगी।

5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि और समय अर्थात् 11.03.2026 को 23:59 बजे से पहले आपत्ति (यदि कोई हो) दर्ज करें, जिसके बाद प्रश्नों, विकल्पों, कुंजियों आदि पर उम्मीदवारों के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. दर्ज की गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस मामले में उम्मीदवारों से कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 04.03.2026

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड